राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 135/2017

श्रीमती अर्चना गुप्ता **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रथम, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, वाटिका, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.01.2017
आदेश की दिनांक : 11.07.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री दलवीर सिंह, ओआईसी

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी का चिकित्सीय बिल राशि रूपये 10,26,336.42 का पुनर्भरण किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड तृतीय के पद पर कार्यरत थी और वर्ष 2013 में पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड द्वितीय के पद पर कार्यरत थी। अपीलार्थी का पुत्र गुडगांव में रहता था। अपने बेटे से मिलने के दौरान गुडगांव में अपीलार्थी गंभीर रूप से बीमार हुई और उसे मेदान्ता अस्पताल में भर्ती कराया गया उसे दिनांक 07.11.2013 से 18.11.2013 तक भर्ती रखा गया, जो अनुलग्नक–1 से प्रकट होता है और अपीलार्थी ने समस्त चिकित्सीय बिल आदि शपथ पत्र के साथ पुनर्भरण के लिये प्रस्तुत किये। चिकित्सा नियम में किये गये प्रावधानानुसार समस्त बिल पुनर्भरण योग्य हैं, जो विभाग में प्रस्तुत किये गये और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा मात्र रूपये 5,13,668/– स्वीकृत किये गये। राज्य सरकार के

नियमानुसार पूर्ण भुगतान नहीं किया गया। जबकि उक्त अस्पताल के मूल एवं सही बिल थे। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर भी बिलों का भुगतान नहीं किया गया, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी का चिकित्सीय बिल राशि रूपये 10,26,336.42 का पुनर्भरण किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से ओआईसी ने अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी द्वारा दिये गये शपथ पत्र में नियम 8(2) का हवाला देते हुये लिखा है कि ''राज्य सरकार द्वारा मुझे जो भी राशि देय होगी वह मुझे स्वीकार होगी तथा शेष राशि मैं स्वयं वहन करने हेतु जिम्मेदार रहूंगी।'' राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 में नियम 8 में उप नियम (8) का प्रावधान है ही नहीं तथा नियम 8 का चिकित्सा पुनर्भरण से कोई संबंध नहीं है। उक्त नियम Public Private Partnership Agreement से संबंधित है। अपीलार्थी पर नियम 12, तद्नुसार अपेंडिक्स 13 लागू है, जिसमें राज्य से बाहर बिना रेफर किये निजी चिकित्सालय में उपचार हेतु मेडिसिन एवं ड्रग्स के 50 प्रतिशत पुनर्भरण का प्रावधान है और इस प्रकार पूरा भुगतान पुनर्भरण योग्य नहीं है और इस प्रकार अपीलार्थी को नियमानुसार चिकित्सीय बिल का पुर्नभरण किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वर्ष 2013 में पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड द्वितीय के पद पर कार्यरत थी तथा अपीलार्थी अचानक गंभीर बीमार होने के कारण उसके द्वारा मेदान्ता अस्पताल में चिकित्सीय उपचार करवाया गया, जिसमें अपीलार्थी को दिनांक 07.11.2013 से 18.11.2013 तक भर्ती रखा गया, जो अनुलग्नक–1 से प्रकट होता है। जहां तक अपीलार्थी को चिकित्सीय उपचार का चिकित्सीय बिल की राशि रूपये 10,26,336.42 का पुनर्भरण नहीं किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी ने अपने स्वयं के अनुसार मेदान्ता अस्पताल में चिकित्सीय उपचार करवाया है ना कि उसे राजस्थान राज्य के चिकित्सालय द्वारा रेफर किया गया है। अपीलार्थी द्वारा दिये गये शपथ पत्र में नियम 8(2) का हवाला

देते हुये लिखा है कि ''राज्य सरकार द्वारा मुझे जो भी राशि देय होगी वह मुझे स्वीकार होगी तथा शेष राशि मैं स्वयं वहन करने हेतु जिम्मेदार रहूंगी।'' इस प्रकार उक्त नियम Public Private Partnership Agreement से संबंधित है। अपीलार्थी पर नियम 12, तद्नुसार अपेंडिक्स 13 लागू है, जिसमें राज्य से बाहर बिना रेफर किये निजी चिकित्सालय में उपचार हेतु मेडिसिन एवं ड्रग्स के 50 प्रतिशत पुनर्भरण का प्रावधान है और इस प्रकार पूरा भुगतान पुनर्भरण योग्य नहीं है और इस प्रकार अपीलार्थी को नियमानुसार चिकित्सीय बिल का पुर्नभरण किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार की नियम विरूद्धता नहीं पाते हैं। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)